

सं0-13035/01/2013-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी'विंग, चौथी मंजिल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 5 जून, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वायत्त निकायों के संबंध में दिनांक 22.7.2004 के का.ज्ञा.सं.13035/3/1995-रा.भा.(नीति एवं समन्वय) का लागू होना ।

अधोहस्ताक्षरी को स्वायत्त निकायों में हिंदी पदों के सृजन के मानदंडों के संबंध में इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिनांक 30.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(4)/2012-एबीसीडी का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है ।

2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कार्यालयों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

- i अतः सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;
- ii केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय;
- iii केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय

3. इसलिए उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग निर्णय करे कि उन्हें केन्द्र सरकार के कार्यालयों में शामिल किया जाय अथवा नहीं ।

हस्ता.

(भोपाल सिंह)
निदेशक(नीति)

सेवा में,

उप सचिव
इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
इलेक्ट्रॉनिक निकेतन,
6, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110003

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2. राजभाषा विभाग के एन.आई.सी. अनुभाग से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें ।